लत सहायक कलक्टर मुकाम बाप

मलूक रवा बनाम केशरी रिजनल एनर्जी प्रा. लि.

दमा U/S 212 RT. Act. नं. 27/2017 सन्

| क्र. | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 2.3.17 | प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये वकील अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें । अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावें । मिसल दिनांक 19/4/17 को पेश हो ।<br>सहायक कलेक्टर<br>बाप (जि. जोधपुर) | |
| 19/4 | आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम. साहब छुट्टी / अवकाश पर हैं । पेशी इलाका की जाकर पत्रावली तारीख 9/5/17 को पेश हो । | |
| 9/5 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायालय आदि हेतु 14.6.2017 को पेश हो। | |
| 14/6 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायालय आदेश हेतु पेश हुई। पक्षकारगण अ. / वकील उपस्थित हैं। 2 नं. नोटिस 2.5.17 को व अ. / वकील उपस्थित हैं। 1 नं. नोटिस बावजूद पत्र पत्र तामील वकील उपस्थित हैं। 1 नं. नोटिस मिलने की तारीख उपस्थित करने पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध की पत्र पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेखा का अवलोकन किया गया। तथा बहस मुकदमे रेखा का अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वई अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विपक्षी कम्पनी द्वारा निर्माण अवैध है कार्यवाही किया जाता है। निर्माण अवैध है कार्यवाही किया जाता है। शामिल मिसल किया गया। मिसल डिक्री प्रकार बाद पारित होवे। नकल के लिये।<br>सहायक कलक्टर - बाप<br>राजस्व लोक अदालत 2017 | |